सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां जिला बारां (राज

प्रकरण संख्या 20/2010

बउनवान

1. गफ्फार उम्र 50 साल
2. जब्बार उम्र 45 साल
3. रफीक उम्र 40 साल पिसरान बफातीभाई जाति मुसलमान निवासीगण शेरगढ तहसील अटरू हाल मुस्लिम मोहल्ला बैंक ऑफ बड़ौदा की गली डाबी जिला बून्दी राज. **(प्रार्थीगण)**

बनाम

1— बाबूभाई पुत्र बफातीभाई उम्र 35 साल जाति मुसलमान निवासी शेरगढत्र तहसील अटरू हाल मुस्लिम मोहल्ला बैंक ऑफ बड़ौदा की गली डाबी जिला बून्दी राज.

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन अधिनियम 1970

उपस्थिति :— 1— श्री मदनगोपाल केवड़ा अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**

2— श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक **(अप्रार्थी क्रम 1)**

3— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.10.2017

प्रार्थीगण द्वारा भू—आवंटन आदेश दिनांक 03.09.1998 से अप्रसन्न होकर विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भू—आवंटन अधिनियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 के पिता कृषिकार्य कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। उन्हें विरासत में कोई आराजी प्राप्त नहीं होने से उन्होने ग्राम शेरगढ़ की सिवायचक बंजड़ काबिल काश्त भूमि फाड़ कर काश्त की तथा लगभग इसी 12 बीघा भूमि से उन्होने अपने पारिवारिक दायित्व पूर्ण किये। दौराने राजस्व अभियान आराजी खसरा संख्या 393 की रकबा 0.80 है. भूमि राज्य सरकार ने नियमानुसार आवंटित कर खातेदारी दे दी। अप्रार्थी क्रम 1 ने फर्जीवाड़ा कर खसरा नंबर 393 की आराजी मृतक पिता बफातीभाई से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1993 अपनी पत्नि फिरोज बेगम के नाम हस्तांतरित करवा ली जिसका विवाद अटरू न्यायालय में जैरकार है। वर्तमान में विवादित भूमि खसरा नंबर 393 खातेदार फिरोज बेगम एवं खसरा नंबर 393/887 रकबा 0.76 है. तथा खसरा नंबर 434 रकबा 0.31 है. पर वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 की माता बेगम पत्नि बफातीभाई काबिज है। अप्रार्थी क्रम 1 भी गत 5 वर्ष से डाबी में ही रहकर पत्थर का व्यवसाय कर रहा है। पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ने पिता का पुराना कब्जा छुपाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 393/887 रकबा 0.76 है. एवं खसरा नंबर 434 रकबा 0.31 है. भूमि अपने नाम आवंटित करवा ली जबकि भूमि प्रार्थीगण के पिता ने कृषि योग्य बनाई थी तथा उन्ही का कब्जा था। उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 03.09.1998 चारों भाईयों के नाम नहीं होने से निरस्तनीय है। वक्त आवंटन आवंटन कमेटी अपूर्ण थी। आवंटन आदेश दिनांक 03.09.1998 का इन्तकाल दिनांक 15.06.2007 को लगभग 9 वर्ष बाद अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने मिलीभगत कर खोला है इससे पूर्व विवादित आराजीयात सिवायचक दर्ज रही है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सं. 2004 व सम्वत 2055—58 से होती है। विवादित आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 29.07.10 को प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन आदेश दिनांक 03.09.1998 केम्प शेरगढ बाबत आराजी खसरा नंबर 393/887 रकबा 0.76 है. एवं 437 रकबा 0.31 हैं. कुल रकबा 1.07 है. निरस्त फरमाया जाकर बाद जांच मृतक बफातीभाई के वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में आवंटित कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है।

अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थी के पिता के पास मात्र 5 बीघा कृषि भूमि थी। अप्रार्थी द्वारा फर्जीवाड़ा कर यह आराजी अपनी पत्नि के नाम करवाना अस्वीकार है। आराजी खसरा नंबर 393/887 रकबा 0.76 है. तथा खसरा नंबर 434 रकबा 0.31 है. को अप्रार्थी ने फाड़ तोड़ कर काश्त योग्य बनाया है तथा तब से आज तक अप्रार्थी ही इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा फाड़ने पर अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 के खिलाफ 91 एल.आर.ए. की कार्यवाही कर नोटिस दिनांक 02.06.1994 को दिया जिसका जुर्माना अप्रार्थी क्रम 1 ने जमा करवाया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा लगातार काश्त करने एवं जुर्माना जमा करवाने पर दिनांक 03.09.1998 को राजस्व अभियान में आवंटन कमेटी द्वारा उक्त आराजी कर आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व से अपने जीवनकाल तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 के पिता ही काबिज काश्त रहे हैं। तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 की मां जो कि आज भी ग्राम शेरगढ़ में ही निवास कर रही है तथा इसी आराजीयात को मुनाफा/पांति काश्त करवाकर अपना जीवन गुजार रही है का कब्जा है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना आदिनांक तक नही की गई है। अप्रार्थी क्रम 1 आवंटन का पात्र नहीं होते हुए भी अप्रार्थी को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने दौराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम शेरगढ़ की आराजी खसरा संख्या 393 की आराजी मृतक पिता बफातीभाई से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1993 अपनी पत्नि के नाम क्रय की एवं आराजी खसरा नंबर 393/887 रकबा 0.76 है. तथा खसरा नंबर 434 रकबा 0.31 है. का आवंटन दिनांक 03.09.1998 को आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया गया। वर्तमान में भी उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा 12 वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर आपत्ति करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने 12 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया है जिसके अनुसार ही भूमि उसके खाते में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा खसरा नंबर 393 की आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा अपनी पत्नि फिरोज बेगम के नाम क्रय की जिसके विरूद्ध श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। आराजी खसरा नंबर 393/887 एवं 434 की कुल 1.07 है. आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां (राज.)